औरैया पुलिस

प्रेस-नोट **दिनांकः-31.05.2026**

थाना बिधूना/स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सूरजपुर में हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर हत्याभियुक्त को मय आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया –

कार्यवाही- श्रीमान पुलिस उपमहानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया तथा क्षेत्राधिकारी बिधूना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बिधूना/स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.05.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सूरजपुर में हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त 1. टीटू उर्फ आशीष पुत्र स्व0 रामकरन द्विवेदी को गिरफ्तार कर आला-कत्ल और व पीली धातु के कुंडल व सफेद धातु की पायल शत-प्रतिशत बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 27.05.2026 को थाना बिधूना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सूरजपुर में एक बन्द मकान में 65 वर्षीय वृद्व महिला (श्रीमती संतोष कुमारी) का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर थाना बिधूना पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। प्रकरण में मृतिका के पुत्र जैनेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह नि0 सूरजपुर थाना बिधूना जनपद औरैया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बिधूना पर अभियोग मु0अ0सं0 202/2026 धारा 103(1)/333 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीध्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था जिसके क्रम में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को आज दिनांक 31.05.2026 को कमलपुर नहर पट्टी से समय करीब रात्रि 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर आला-कत्ल और मृतका के शरीर से उतारे गए सोने के कुंडल व पायल शत-प्रतिशत बरामद कर उक्त अभियोग में धारा 315/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने मोहल्ले की बुआ (संतोष कुमारी) की हत्या के सम्बन्ध में बताया कि उसकी बुआ ग्राम सूरजपुर में अपने घर में अकेली रहती थी और उनका पुत्र अपने परिवार के साथ विदिशा मध्यप्रदेश में रहता है। वह दिनांक 25.05.2026 को मृतका के घर गया था जहां पर मृतका द्वारा उसकी मां के चरित्र पर बार-बार अभद्र टिप्पणी की गयी थी जिस कारण उनमें विवाद हुआ और विवाद के दौरान उसे मृतका द्वारा थप्पड़ मार दिया था जिससे आक्रोशित होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अभियुक्त ने अत्यधिक शराब के नशे में रात करीब 11:30 बजे कुर्सी पर बैठी बुआ की गर्दन पर चाकू से 5-6 बार वार कर निर्मम हत्या कर दी और मृतका का मोबाइल बाथरूम में फेंक दिया। हत्या के बाद अभियुक्त ने मृतका के शरीर से पीली धातु के कुंडल व सफेद धातु की पायल उतार ली और चाकू को मृतका के घर के पास खाली प्लॉट में छिपाकर, घर के मेन गेट पर ताला लगाकर फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

टीटू उर्फ आशीष पुत्र स्व0 रामकरन द्विवेदी निवासी सूरजपुर थाना बिधूना जनपद औरैया हालपता विकास नगर गुरुदेव थाना नवावगंज जनपद कानपुर नगर

अनावरित अभियोग

मु0अ0सं0 202/2026 धारा 103(1)/333/315/317(2) बीएनएस थाना बिधूना जनपद औरैया।

अपराधिक इतिहास- जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

1. एक अदद चाकू (आलाकत्ल)
2. दो अदद कान के कुण्डल पीली धातु (मृतिका के शव से उतारे हुए)
3. दो अदद तोडियां सफेद धातु (मृतिका के शव से उतारे हुए)
4. 2400 रुपये नकद
5. दो अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश बाबू चौहान थाना बिधूना जनपद औरैया मय हमराह।
2. प्रभारी सर्विलांस टीम उ0नि0 समित चौधरी मय टीम।
3. प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 कुलदीप कुमार मय टीम।
4. उ0नि0 यतेन्द्र कुमार थाना बिधूना जनपद औरैया।
5. हे0का0 58 दीपेन्द्र थाना बिधूना जनपद औरैया।